संख्या-45/2026/आई/1269338/2026/65-2002(002)/3/2026

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2026

विषय:-27-मानसिक मंदित बच्चों/दिव्यांगजन हेतु मनोविकास केन्द्र, गोरखपुर योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4585/दि0जन0/2025-26 दिनांक 13.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-27-मानसिक मंदित बच्चों/विकलांगजन हेतु मनोविकास केन्द्र-08-कार्यालय व्यय मद में हो रही सम्भावित बचतों से अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-27-मानसिक मंदित बच्चों/विकलांगजन हेतु मनोविकास केन्द्र-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 0.64 लाख (रू0 चौसठ हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट ऑफिस आदि में नहीं रखा जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रश्नगत योजनान्तर्गत राज्य सरकार की गाइडलाइन्स में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत तथा वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत मद हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(8) वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(10) शासनादेश संख्या-57/2025/आई/933500/2025/फाईल नं.65-2002/1/2025 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-27-मानसिक मंदित बच्चों/विकलांगजन हेतु मनोविकास केन्द्र-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं तत्क्रम में आवंटित संख्या-आर.ई.-बजट-1-487-ई-4-254-एक्स-2025-26 दिनांक 13.03.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

राकेश कुमार यादव

संयुक्त सचिव।

<u>तद्संख्या/तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/ 3।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार यादव

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।